उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार 14 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1924
(दिनांक : 04 जून, 2002)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

1. प्रश्न {देखिए नत्थी–(क)}

2. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरूद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

3. विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।

4. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

5. पंचायती राज मंत्री उत्तरांचल, पंचायत विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

6. पंचायती राज मंत्री, उत्तरांचल पंचायत विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करेंगे।

7. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों। (कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी–ख)

8. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

9. वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

10. नियम–103 के अन्तर्गत श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरणः–

    ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक पाठशालाओं, राजकीय हाईस्कूलों एवं इण्टर कालेजों में कार्यरत ''शिक्षा–मित्र एवं शिक्षा बन्धु'' को नियमित किया जाय।''

––2

11. नियम–103 के अन्तर्गत श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरणः–

''जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड यमकेश्वर में ग्राम पंचायत गंगा भोगपुर के ग्रामीणों को पशु चुगान, भवन निर्माण हेतु रेत, बजरी, पत्थर एवं इमारती लकड़ी की सुविधा से वंचित न रखने की दृष्टि से उक्त ग्राम पंचायत से 3 कि0मी0 की परिधि के क्षेत्र को राजाजी राष्ट्रीय पार्क की सीमा से मुक्त कर दिया जाय।''

12. नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

13. वन माफियाओं द्वारा वन्य जीव जन्तुओं की हत्या के संबंध में श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट द्वारा दिनांक 3 जून, 2002 को दी गई सूचना पर माननीय वन मंत्री का नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य।

14. प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने विषयक दिनांक 20 मार्च, 2002 की कार्यसूची के नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के संबंध में श्री मातबर सिंह कण्डारी, स0वि0स0 द्वारा दी गई सूचना पर, नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

आज्ञा से,

देहरादून
दिनांक : 4 जून, 2002

(महेश चन्द्र)
सचिव।

नत्थी 'ख'

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 03 जून, 2002 की बैठक में दिनांक 4 जून, 2002 से 14 जून, 2002 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की:-

जून, 2002

04 मंगलवार	विधायी कार्य (1) उत्तरांचल पंचायत विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन (2) वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। (3) नियम-103 के अन्तर्गत निम्न स्वीकृत प्रस्तावों पर चर्चा। (क) श्री मातबर सिंह कण्डारी- "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक पाठशालाओं, राजकीय हाईस्कूलों एवं इण्टर कालेजों में कार्यरत "शिक्षा-मित्र एवं शिक्षा बन्धु" को नियमित किया जाय।" (ख) श्रीमती विजय बड़थ्वाल- "जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड यमकेश्वर में ग्राम पंचायत गंगा भोगपुर के ग्रामीणों को पशु चुगान, भवन निर्माण हेतु रेत, बजरी, पत्थर एवं इमारती लकड़ी की सुविधा से वंचित न रखने की दृष्टि से उक्त ग्राम पंचायत से 3 कि0मी0 की परिधि के क्षेत्र को राजाजी राष्ट्रीय पार्क की सीमा से मुक्त कर दिया जाय।"
05 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
06 गुरूवार	(1) उत्तरांचल पंचायत विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण। (2) वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

--2

07 शुक्रवार

(1) असरकारी संकल्पों पर चर्चा (आधा दिन)

(क) श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रकाश पंत, श्री सुरेश चन्द्र जैन, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायको को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को 75 लाख से बढ़ा कर 1 करोड़ कर दिया जाय।"

(ख) श्री मदन कौशिक– "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार मे अर्ध कुम्भ, 2004 में अस्थाई निर्माण के स्थान पर स्थायी कार्य कराये जायें।"

(ग) श्री मातबर सिंह कण्डारी– "इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिये उद्योगों का जाल बिछाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।"

(घ) श्री प्रकाश पंत– "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वागीण विकास के लिये संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप अनुच्छेद 243 (क) से 243 य च के प्रावधानों के अनुसार विधि इसी सत्र में बना ली जाय।"

(ड.) श्री काशी सिंह ऐरी, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार– "यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि सबके लिए शिक्षा योजना की भाँति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य योजना बना कर प्रदेश के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने हेतु तुरन्त कदम उठाये जायं।"

(2) विधायी कार्य (आधा दिन)।

08 शनिवार

बैठक नहीं होगी।

--3

09 रविवार	बैठक नहीं होगी।
10 सोमवार	विभागवार अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
11 मंगलवार	विभागवार अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
12 बुधवार	विभागवार अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
13 गुरूवार	(1) विभागवार अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान। (2) शेष विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान। (3) उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
14 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस। (2) विधायी कार्य (सायं 5:00 बजे)।